सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 25, गुरूवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 17, 2019 *Asvina 25, Thursday, Saka 1941–October 17, 2019*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 29, 2019

संख्या प.1(11)न्याय/2016 :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 0863 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की अपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित अपर जिला एवं सैशन न्यायालय का नाम परिवर्तित कर कॉलम संख्या 3 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क्र.स	न्यायालय का विद्धमान नाम	न्यायालय का परिवर्तित नाम
1.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, बाडमेर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, बाडमेर
2.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाडमेर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाडमेर
3.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
4.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना (सीकर)	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना

राज्यपाल के आदेश से ,
महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।